उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-10/2479/एक-1-2018-5(40)/2011
लखनऊ: दिनाॅक: 29 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राजयपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला बहराइच की तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर) के वन ग्राम का क्षेत्र, जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किया जायेगा और यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा:

अनुसूची

क्र0 सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम जिसमें स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम व स्तम्भ-5 में उल्लिखित राजस्व ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि स्थित है	राजस्व ग्राम का नाम, जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी
1	2	3	4	5
1	27.684	मिहीपुरवा (मोतीपुर)	गोकुलपुर	गोकुलपुर

राजस्व ग्राम गोकुलपुर में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी:-

(1)- उत्तर में - सीमा अवध वन
(2)- दक्षिण में - सीमा अवध वन
(3)- पूरब में - सीमा अवध वन
(4)- पश्चिम में - सीमा राजस्व ग्राम धर्मापुर

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in

shasandesh.up.nic.in